

[2023] 10 एस. सी. आर 1155:2023 आईएनएससी 649 ए

ए.

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर.

(2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5263) 26 जुलाई, 2023

बी.

[जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 136-अपील के लिए विशेष अनुमति-राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित आदेश।58(1) (क) (iii)-अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका-जब रिट याचिका के माध्यम से उपचार उपलब्ध हो।226 और उच्च न्यायालय के समक्ष 227-आयोजित:इस न्यायालय में अपील का उपाय केवल एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा एस. द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों के संबंध में उपलब्ध है।21(क) 1986 के अधिनियम और धाराओं का (i)।58(1)(ए) (आई) या एस।58(1)(क) 2019 अधिनियम के (ii)-दोनों अधिनियम इस न्यायालय में अपील के उपचार के लिए केवल उन आदेशों के संबंध में प्रावधान करते हैं जो एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में या पहली बार न्यायालय (मूल आदेश) के रूप में पारित किए जाते हैं और एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किए गए आदेशों के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जाती है-इस प्रकार, याचिका को गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए-याची को उच्च न्यायालय-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत या अनुच्छेद 227 के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए।17, 19 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।

सी.

डी.

ई.

अनुच्छेद 136-चर्चा के दायरे और अनुदान के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति।

एफ.

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** क्रमशः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986** और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **2019** के प्रावधानों को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि इस न्यायालय में अपील का उपाय केवल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अधिनियम **1986** की धारा **21 (ए) (आई)** और अधिनियम **2019** की धारा **58 (1) (ए) (आई)** या **58 (1) (ए) (आई)** द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों के संबंध में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, दोनों अधिनियम इस न्यायालय में अपील के उपचार के लिए केवल उन आदेशों के संबंध में प्रावधान करते हैं जो एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में या पहली न्यायालय के रूप में पारित किए जाते हैं।

जी.

एच.

1155

1156 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

उदाहरण (मूल आदेश) और आगे कोई अपील उन आदेशों के खिलाफ नहीं है जो एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किए जाते हैं।[पैरा **17**] [**1162-डी-एफ**]

1.2 तत्काल मामले में, एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपील अधिनियम **1986** की धारा **17 (1) (ए) (आई)** के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ थी। एन. सी. डी. आर. सी. को इस तरह की अपील विचारणीय थी, जैसा कि अधिनियम **1986** की धारा **21 (ए) (ii)** के तहत प्रदान किया गया था। अधिनियम **1986** की धारा **23** के अनुसार, धारा **21 (ए) (आई)** द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस न्यायालय में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। इसलिए, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा इस न्यायालय में पारित आदेश के खिलाफ अपील केवल उस स्थिति में विचारणीय होगी जब एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अधिनियम **1986** की धारा **21 (ए) (आई)** के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाता है। अधिनियम **1986** की धारा **21 (ए) (ii)** के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में आगे कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। एस. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर पारित आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में याची संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत इस न्यायालय के समक्ष आया है।[पैरा **18**] [**1162-एफ-एच; 1163-ए**]

बी.

सी.

डी.

1.3 अपील के लिए विशेष अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का सवाल या एक निर्णय जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है, विशेष अवकाश देने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद **136** के प्रावधान किसी भी सीमा से सीमित नहीं हैं। लेकिन जब पीड़ित पक्ष के पास उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए वैकल्पिक उपाय है, तो उसके रिट अधिकार क्षेत्र या पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए, इस न्यायालय को विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए जिससे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को शॉर्ट-सर्किट किया जा सके। सीमाएँ जो भी हों, वे शक्ति की प्रकृति और चरित्र में निहित हैं। यह एक असाधारण और प्रबल शक्ति होने के कारण, स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग संयम और सावधानी के साथ और केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा और इसका प्रयोग अच्छी तरह से स्थापित ए द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1157

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंश्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर.

ऐसे सिद्धांत जो संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। [पैरा **24**] [**1165-एफ-एच**]

1.4 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। याची को पहले संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत एक रिट आवेदन के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद **227** के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान करके अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए कहा जाना चाहिए। बेशक, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने और अंतिम आदेश पारित करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत अपील करने की अनुमति मांगने के लिए विशेष

अनुमति याचिका दायर करके दोनों पक्षों में से किसी के लिए भी इस न्यायालय के समक्ष आना हमेशा खुला रहता है।[पैरा **38**] **[1172-जी-एच]**

बी.

सी.

इब्राहिम फैज़ान बनाम ओमैक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड **2022**

आई. एन. एस. सी. **573**-पर निर्भर।

प्रीतम सिंह बनाम राज्य 1950 एस. सी. सी 189:1950 एससीआर 453;

मूर्तजा एंड संस और एक अन्य बनाम नजीर मोहम्मद।खान और अन्य (1970) 3 एस. सी. सी. 876; ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम.आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल (1955)

डी.

1 एससीआर 941:ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 65; उजागर सिंह और

अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) **(1979) 4 एस. सी. सी. 530**; एस. जी. केमिकल्स एंड डाइज़ ट्रेडिंग एम्प्लॉइज़ यूनियन बनाम एस. जी. केमिकल्स एंड डाइज़ ट्रेडिंग लिमिटेड और

ई.

एक और (1986) 2 एस. सी. सी. 624:[1986] 2 एससीआर 126;

ज्योतिन्द्रसिंहजी बनाम एस. आई. त्रिपाठी और अन्य, 1993 सप्लीमेंट

(3) एससीसी 389:[1993] 2 एस. सी. आर. 938; बॉम्बे राज्य

v. मेसर्स रतिलाल वादिलाल और ब्रदर्स।(1961) 2 एससीआर 367; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम।पी. एन. शर्मा आकाशवाणी

एफ.

1965 एससी 1595:[1965] एस. सी. आर. 366; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एस. सी. सी. 261:[1997] 2 एस. सी. आर. 1186-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

1950 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

जी.

(1970) 3 एस. सी. सी. 876

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

(1955) 1 एससीआर 941

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

1979) 4 एस. सी. सी. 530

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[1986] 2 एससीआर 126

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

एच.

1158 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

[1993] 2 एससीआर 938

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

(1961) 2 एससीआर 367

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[1965] एससीआर 366

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5263।

बी.

2016 के एफ. ए. सं. 376 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 16.01.2023 के निर्णय और आदेश से।

डी. वरदराजन, रजत खत्री, अभय कुमार, शगुन रुहिल, अधिवक्तागण याची के लिए।

सी.

एस. के. वर्मा, अहमद इब्राहिम, सुश्री आकांक्षा वर्मा चंदोक, जन्मेजय वर्मा, राजेश सिंह चौहान, अनिल कुमार सिंह, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

जे. बी. पारदीवाला, जे.:

1. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमति मांगने वाली यह याचिका मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कहने पर है, जो 2016 की पहली अपील संख्या 376 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में, 'एन. सी. डी. आर. सी.')

के समक्ष मूल अपीलकर्ता है, जिसके द्वारा एन. सी. डी. आर. सी. ने याची द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिससे दिल्ली के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में, 'एस. सी. डी. आर. सी.')

द्वारा पारित आदेश की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/शिकायतकर्ता याची और उसके संयुक्त उद्यम भागीदार से दावा राशि और उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार था। इलाहाबाद बैंक (प्रत्यर्थी संख्या 2) विचाराधीन परिसर से चोरी किए गए सामान के लिए।

ई.

एफ.

फैक्ट मैट्रिक्स

2. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी बैंक ने एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए याची के माध्यम से शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 05.12.2011 पर एक मानक अग्नि और विशेष जोखिम नीति जारी की। इसी तरह, शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक

08.12.2011 पर एक चोरी बीमा पॉलिसी भी जारी की गई थी।दोनों पॉलिसियों में आग और चोरी के जोखिम के लिए Rs.50 लाख की राशि शामिल थी।पॉलिसियाँ 25.11.2011 और 24.11.2012 के बीच की अवधि के लिए थीं।

जी.

3. 28.03.2012 दिनांकित पत्र के माध्यम से, शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी बैंक को सूचित किया कि बवाना, ए में उसके नए परिसर का निर्माण

एच.

1159

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंस्योरेंस कं. लि.सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

दिल्ली का निर्माण पूरा हो चुका था और उन्होंने अपना स्टॉक राजगढ़ एक्सटेंट, गांधी नगर, दिल्ली और भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली में स्थित परिसर से बवाना में स्थित उपरोक्त परिसर में स्थानांतरित कर दिया था।इस पत्र में शिकायतकर्ता ने बैंक को याची को सूचित करने का भी निर्देश दिया था।4. प्रत्यर्थी बैंक ने उपरोक्त सूचना को स्वीकार किया और याची को दिनांकित 31.03.2012 पत्र के माध्यम से सूचित करने का दावा किया।बैंक का दावा है कि उसने शिकायतकर्ता का दिनांकित 28.03.2012 का पत्र भी याची को भेज दिया है।

बी.

5. आई. डी. 2 पर, बवाना परिसर में चोरी हुई और उसके लिए एफ. आई. आर. संख्या आई. डी. 3, पी. एस. बवाना में आई. डी. 1 पर दर्ज की गई।याची और बैंक दोनों को भी चोरी के बारे में सूचित किया गया था।याची द्वारा परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया था और 01.07.2012 पर, शिकायतकर्ता द्वारा याची के साथ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

सी.

6. चोरी के बाद, शिकायतकर्ता ने बताया कि बवाना में परिसर में 18.10.2012 पर आग भी लग गई थी, और उस संबंध में स्थिति रिपोर्ट अग्निशमन विभाग द्वारा जारी की गई थी।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने रुपये की चोरी और आग दोनों के लिए दावा दायर किया। 49 लाख।याची ने दिनांकित 22.08.2013 पत्र के माध्यम से चोरी के दावे को अस्वीकार कर दिया और शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण आग के दावे को बंद कर दिया गया।

डी.

ई.

7. 03.06.2013 पर, याची की ओर से निष्क्रियता से व्यथित शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 357/2013 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1986') की धारा 17 के तहत एससीडीआरसी, दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने रुपये के अपने दावे के लिए प्रार्थना की। 49 लाख रुपये के मुआवजे के साथ संसाधित किया जाएगा। शिकायत की लागत के साथ 20 लाख रुपये और उस दर पर ब्याज जो प्रत्यर्थी बैंक शिकायतकर्ता से ले रहा था।

एफ.

8. दिनांक 1 के आदेश द्वारा, एस. सी. डी. आर. सी. ने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति देते हुए कहा कि याची और प्रत्यर्थी बैंक शिकायतकर्ता को सेवाएं प्रदान करने में कमियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी थे और शिकायतकर्ता 500 करोड़ रुपये के सामान की चोरी के लिए मुआवजे का हकदार था। 41,31,180-@12 दावे की तारीख से प्रति वर्ष% ब्याज। याची और बैंक को भी रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये। याची को आगे रुपये के अग्रि दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता के 4 लाख।

जी.

एच.

1160

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

9. याची ने एससीडीआरसी द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत 2016 की पहली अपील संख्या 376 दायर करके एनसीडीआरसी के समक्ष इसे चुनौती दी। याची ने एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एस. सी. डी. आर. सी. के आदेश अपास्त करना करने और याची के पक्ष में शिकायतकर्ता के खिलाफ खर्च देने का अनुरोध किया।

बी.

10. दिनांक 16.01.2023 के आदेश द्वारा, याची द्वारा दायर पहली अपील खारिज कर दी गई।

11. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, याची संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली वर्तमान याचिका के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

सी.

चर्चा

12. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में कई बार विवाद हुए। हालाँकि, जो विवादास्पद प्रश्न हमारे विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली इस याचिका को सीधे एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ स्वीकार करना चाहिए या याची को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के उपाय का लाभ उठाने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाली याचिका का लाभ उठाने के लिए खारिज कर देना चाहिए?

डी.

ई.

13. इससे पहले कि हम उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ें, हमें अधिनियम 1986 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना चाहिए।

14. अधिनियम 1986 की धारा 21 (ए) का शीर्षक 'राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र' है। वही इस प्रकार पढ़ता है:

एफ.

“21. राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र।- विषय के अधीन

इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र होगा -

(क) उन शिकायतों पर विचार करना जहां दावा की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, एक करोड़ रुपये से अधिक हो; और

जी.

((ii) किसी भी राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील;”

15. अधिनियम 1986 की धारा 23 में 'अपील' का प्रावधान है। वही इस प्रकार पढ़ता है:

एच.

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंश्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

ए.

“23. अपील करें।-धारा 21 के खंड (ए) के उपखंड (आई) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

बी.

बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति की कोई भी अपील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति ने निर्धारित तरीके से पचास प्रतिशत जमा नहीं किया हो। उस राशि या पचास हजार रुपये में से जो भी कम हो।”

सी.

(जोर दिया गया) 16. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 106, अधिनियम 1986) को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (संक्षेप में, 'अधिनियम 2019') लागू हुआ। तत्काल मामले में, अधिनियम 1986 के तहत शिकायतें दर्ज की गईं। हालाँकि, हमें अधिनियम 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहिए, जो अधिनियम 1986 के प्रावधानों के समान हैं।

डी.

ई.

“58. राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र।- (1) विषय के अधीन

इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र होगा -

(क) मनोरंजन के लिए -

(i) ऐसी शिकायतें जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है:

एफ.

बशर्ते कि जहां केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, वह ऐसा अन्य मूल्य निर्धारित कर सकती है, जो वह उचित समझे।

((ii) अनुचित अनुबंधों के खिलाफ शिकायतें, जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है।

जी.

((iii) किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील; (iv) केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील;

एच.

XXX

XXX

1162 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

67. राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील।- किसी भी

राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है: बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

बी.

सी.

बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति की कोई भी अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति ने पचास प्रतिशत जमा नहीं किया हो। उस राशि की उस तरीके से जो निर्धारित की जाए।”

डी.

17. क्रमशः अधिनियम 1986 और अधिनियम 2019 के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि इस न्यायालय में अपील का उपाय केवल एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अधिनियम 1986 की धारा 21 (ए) (आई) और अधिनियम 2019 की धारा 58 (1) (ए) (आई) या 58 (1) (ए) (आई) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों के

संबंध में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, दोनों अधिनियम इस न्यायालय में अपील के उपचार के लिए केवल उन आदेशों के संबंध में प्रावधान करते हैं जो एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में या पहली बार न्यायालय (मूल आदेश) के रूप में पारित किए जाते हैं और आगे कोई अपील उन आदेशों के खिलाफ नहीं होती है जो एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किए जाते हैं।

ई.

18. वर्तमान मामले को स्वीकार करते हुए, एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपील अधिनियम 1986 की धारा 17 (1) (ए) (आई) के तहत एस. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ थी। एन. सी. डी. आर. सी. को इस तरह की अपील विचारणीय थी, जैसा कि अधिनियम 1986 की धारा 21 (ए) (ii) के तहत प्रदान किया गया था। अधिनियम 1986 की धारा 23 के अनुसार, धारा 21 (ए) (आई) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस न्यायालय में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। इसलिए, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा इस न्यायालय में पारित आदेश के खिलाफ अपील केवल उस स्थिति में विचारणीय होगी जब एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अधिनियम 1986 की धारा 21 (ए) (आई) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाता है। अधिनियम 1986 की धारा 21 (ए) (ii) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में आगे कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। वहाँ ए

एफ.

जी.

एच.

1163

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंश्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

एस. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर पारित आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में याची संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आया है।

संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत विशेष छूट का दायरा और अनुदान

बी.

19. इस न्यायालय ने 1950 एस. सी. सी. 189 में रिपोर्ट किए गए प्रीतम सिंह बनाम राज्य मामले में निर्णय दिया है: 1950 एस. सी. आर. 453 पी. 459: “आम तौर पर यह न्यायालय

जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं, कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और यह कि विचाराधीन मामला निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, तब तक विशेष अनुमति नहीं देगा। यह.

सी.

उस मामले में यह भी कहा गया था कि यह विचार कि एक बार विशेष अनुमति द्वारा अपील स्वीकार कर लिए जाने के बाद पूरा मामला बड़े पैमाने पर है और अपीलार्थी तथ्य के सभी निष्कर्षों को चुनौती देने और उच्च न्यायालय में उठाए जा सकने वाले हर मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है, गलत है। अपील की अंतिम सुनवाई में केवल उन्हीं बिंदुओं का आग्रह किया जा सकता है जो प्रारंभिक चरण में आग्रह किए जाने के लिए उपयुक्त हैं जब अपील करने की अनुमति मांगी जाती है। यह सिद्धांत एक आपराधिक मामले में कहा गया था, यह सच है, लेकिन यह दीवानी मामलों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपराधिक अपीलों के मुकदमे में। [देखिए: मुर्तजा एंड संस एंड

डी.

एक अन्य बनाम नजीर मोहम्मद। खान और अन्य ने रिपोर्ट (1970) 3 एस. सी. सी.

ई.

876]।

20. ढाकेश्वरी कॉटन मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने बताया कि

(1955) 1 एससीआर 941: ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 65 ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

“7. ... अनुच्छेद 136 में बनाए गए संवैधानिक प्रावधान द्वारा इस न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर सीमाओं को किसी भी सटीकता के साथ परिभाषित करना संभव नहीं है। सीमाएँ चाहे जो भी हों, वे सत्ता की प्रकृति और चरित्र में निहित हैं। यह एक असाधारण और प्रबल शक्ति होने के कारण, स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग संयम और सावधानी के साथ और केवल विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस शक्ति के प्रयोग को किसी निर्धारित सूत्र या नियम से रोकना संभव नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि संविधान ने इस मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीशों के विवेक और अच्छी समझ पर भरोसा किया है, यह अपने आप में एक पर्याप्त सुरक्षा और गारंटी है कि

एफ.

जी.

एच.

1164 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

इसका उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा, और इसका प्रयोग अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार किया गया है या कि भारत के क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण ने किसी वादी को उचित सौदा नहीं दिया है, तो तथ्यों के निष्कर्ष की अंतिमता या अन्यथा जैसी कोई भी तकनीकी बाधा इस शक्ति के प्रयोग के रास्ते में नहीं आ सकती है क्योंकि इस अनुच्छेद का पूरा इरादा और उद्देश्य यह है कि यह देखना इस न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों द्वारा अन्याय कायम नहीं है या नहीं किया गया है क्योंकि कुछ कानूनों ने इन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के निर्णयों को अंतिम और निर्णायक बना दिया है।...

बी.

सी.

(जोर दिया गया)

21. उजागर सिंह और एक अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)

पीठ की ओर से बोलते हुए (1979) 4 एस. सी. सी. 530, वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

डी.

“1. ... शायद ही कोई ऐसा मामला हो, दीवानी या आपराधिक, जो कानून या दूसरे के बारे में कोई सवाल नहीं उठाता हो। लेकिन इन याचिकाओं में आम सार्वजनिक महत्व के कानून का कोई सवाल शामिल नहीं है। यह समय है जब यह महसूस किया गया कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का प्रश्न या कोई निर्णय जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है, विशेष अवकाश देने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं।...”

ई.

(जोर दिया गया)

एफ.

22. एस. जी. केमिकल्स एंड डाइज़ ट्रेडिंग एम्प्लॉइज़ यूनियन बनाम एस. जी. केमिकल्स एंड डाइज़ ट्रेडिंग लिमिटेड और अन्य के मामले में,

(1986) 2 एस. सी. सी. 624, इस न्यायालय ने पैरा 6 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

“6. संघ उक्त आदेश को चुनौती देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत पहले उच्च न्यायालय का रुख किए बिना औद्योगिक न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ अपील में सीधे इस न्यायालय में आया है। अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं लेकिन जैसा कि उस अनुच्छेद के खंड (1) में ही कहा गया है कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति का अनुदान न्यायालय के विवेक में है। इसलिए अनुच्छेद 136 ए नहीं है।

जी.

एच.

1165

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंस्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

इस न्यायालय तक सीधे पहुँच की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ अन्य समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध हैं और जहाँ प्रश्न सार्वजनिक महत्व का नहीं है।”

(जोर दिया गया)

23. यह न्यायालय ज्योतिन्द्रसिंहजी बनाम एस. आई. त्रिपाठी और अन्य मामले में,

बी.

1993 में प्रतिवेदित सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 389 पैरा 16 में निम्नानुसार देखा गया है;

“16. यह सच है कि धारा 245-I में निहित अंतिमता खंड अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता या अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता को बाधित नहीं करता है और न ही रोक सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय में सीधे दायर की गई अपील में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इससे अलग है कि यदि निर्धारिती पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटता और फिर अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील करता। एक पक्ष को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटने के बजाय अनुच्छेद 136 के तहत सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से कोई लाभ नहीं होता है और न ही हो सकता है। यह

अनुच्छेद 136 में निहित कोई सीमा नहीं है; यह एक सीमा है जो यह न्यायालय आयोग द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए खुद पर लगाता है।”

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 24। इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से जो स्पष्ट है वह यह है कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का सवाल या एक निर्णय जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है, विशेष अवकाश देने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के प्रावधान किसी भी सीमा से सीमित नहीं हैं। लेकिन जब पीड़ित पक्ष के पास उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए वैकल्पिक उपाय है, तो उसके रिट अधिकार क्षेत्र या पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए, इस न्यायालय को विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए जिससे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को शॉर्ट-सर्किट किया जा सके। सीमाएँ जो भी हों, वे शक्ति की प्रकृति और चरित्र में निहित हैं। यह एक असाधारण और प्रबल शक्ति होने के कारण, स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग संयम और सावधानी के साथ और केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा और इसका प्रयोग होगा

एफ.

जी.

एच.

1166

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों द्वारा शासित जो संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं।

25. लगभग छह दशक पहले, यह न्यायालय एम के माध्यम से बोल रहा था।

बॉम्बे राज्य बनाम मेसर्स रतिलाल वादीलाल के मामले में हिदायतुल्ला, जे।

और ब्रदर्स।, (1961) 2 एस. सी. आर. 367 में निम्नलिखित रूप में देखा गया:

बी.

“3. ... हमने अक्सर देखा है कि अपीलार्थी के लिए जो भी उपाय खुले हैं, वे इस न्यायालय में जाने से पहले समाप्त नहीं होते हैं। आम तौर पर, यह न्यायालय उच्च न्यायालय को इस तरह से दरकिनार करने की अनुमति नहीं देगा, और एक अपीलार्थी के लिए उचित मार्ग अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने से पहले अपने सभी उपायों का उपयोग करना है।...”

सी.

(जोर दिया गया) 26। अब हम इस बारे में हाल ही में की गई घोषणा पर गौर करेंगे।

इब्राहिम फैज़ान बनाम ओमैक्स बिल्डहोम प्राइवेट के मामले में न्यायालय

लिमिटेड ने 2022 आई. एन. एस. सी. 573 में रिपोर्ट किया। उक्त मामले में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा बनाई गई परियोजना में एक फ्लैट बुक किया था। अपीलार्थी ने प्रतिफल की पूरी राशि का भुगतान किया लेकिन प्रत्यर्थी ने समझौते में निर्धारित समय के भीतर फ्लैट नहीं सौंपा। इसलिए, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की ओर से सेवा की कमी का आरोप लगाते हुए

10.08.2013 पर SCDRC के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। एस. सी. डी. आर. सी. ने अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत को अपने दिनांक 16.10.2020 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया। एस. सी. डी. आर. सी. ने प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वह फ्लैट को अपीलार्थी के कब्जे में सौंप दे बशर्ते वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। एस. सी. डी. आर. सी. ने आगे प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के कब्जे में फ्लैट की डिलीवरी की तारीख तक नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के रूप में प्रत्यर्थी की सेवा की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

डी.

ई.

एफ.

27. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ फांसी और अवमानना याचिका दायर की क्योंकि उसने एस. सी. डी. आर. सी. के आदेश का पालन नहीं किया था। एस. सी. डी. आर. सी. ने अपने दिनांकित 12.03.2021 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी को बैंक खातों या संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें संलग्न किया जा सके और एस. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को लागू किया जा सके। 28. प्रत्यर्थी ने एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपील दायर की। एन. सी. डी. आर. सी. ने एस. सी. डी. आर. सी. की रजिस्ट्री में अब तक भुगतान की गई राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ पूरे फ्लैट की लागत जमा करने के अधीन एस. सी. डी. आर. सी. के आदेश पर रोक लगा दी।

जी.

एच.

1167

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंस्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

ए.

29. प्रत्यर्थी ने एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ व्यथित होकर एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि एन. सी. डी. आर. सी. को प्रत्यर्थी, बिल्डर को एस. सी. डी. आर. सी. द्वारा दिए गए मुआवजे के साथ अपार्टमेंट की पूरी लागत जमा करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आयोग के दिनांक 25.05.2021 के आदेश पर रोक लगा दी। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर जारी किया गया था कि प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर मुआवजे के लिए ब्याज के रूप में जमा की जाने वाली राशि का पचास प्रतिशत राज्य आयोग के पास जमा करना होगा।

बी.

सी.

30. इस बीच, एन. सी. डी. आर. सी. ने राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अंतिम आदेश पारित किया, अपने दिनांक 09.12.2021 के आदेश के माध्यम से। प्रत्यर्थी ने एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की। उच्च न्यायालय ने इस याचिका में अपने दिनांक 22.12.2021 के आदेश के माध्यम से अंतरिम रोक भी लगा दी। इस आदेश के खिलाफ अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय को 2 को या उससे पहले एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर निर्णय लेने और इस न्यायालय को परिणाम से अवगत कराने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 31.03.2022 के आदेश में कहा कि एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचारणीय थी। इस आदेश को अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

डी.

ई.

31. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया: (क) एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका विचारणीय नहीं है।

एफ.

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष केवल अपील ही विचारणीय है।

जी.

(ग) अपीलीय उपचार को समाप्त किए बिना, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।

(घ) उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपलब्ध सीमित अधिकार क्षेत्र में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी।

एच.

1168

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

32. प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत किया: (क) अधिनियम 2019 के प्रावधानों में अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधान नहीं हैं और इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका या अनुच्छेद 227 के तहत याचिका, जैसा भी मामला हो, एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है।

बी.

(ख) उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

- एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम पी. एन.

सी.

शर्मा, ए. आई. आर. **1965 एस. सी. 1595**; और

- एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3

एससीसी 261।

33. इस न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अधिनियम 2019 की धारा 58 (1) (ए) (iii) के तहत एक अपील में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका विचारणीय होगी।

डी.

34. अधिनियम 2019 के प्रावधानों के उचित विश्लेषण के बाद, जो अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, इस न्यायालय ने इबरत फैज़ान (उपर्युक्त) मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

ई.

“11. इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस न्यायालय में पारित आदेश के खिलाफ अपील केवल उस स्थिति में कायम रखी जा सकती है जब राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2019 अधिनियम की धारा 58 (1) (ए) (आई) या धारा 58 (1) (ए) (आई) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 58 (1) (ए) (iii) या 2019 अधिनियम की धारा 58 (1) (ए) (iv) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में आगे कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। मामले के उस दृष्टिकोण में, धारा 58 (1) (ए) (iii) या धारा 58 (1) (ए) (iv) के तहत अपील में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष को जो उपाय उपलब्ध हो सकता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना होगा।”

एफ.

जी.

XXX

XXX

XXX ए

एच.

1169

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंश्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

14. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय खुद को संविधान के अनुच्छेद 227 की कठोरता के अधीन करता है और उच्च न्यायालय को उन मापदंडों के भीतर अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होता है जिनके भीतर इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।”

बी.

(जोर दिया गया) 35।इबरेत फैज़ान (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एसोसिएटेड सीमेंट (ऊपर) के मामले में अपने पहले के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

सी.

“9. ... विशेष मामले और प्रश्न उनके निर्णय के लिए उन्हें सौंपे जाते हैं और उस अर्थ में, वे अदालतों के साथ एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं; अदालतें और न्यायाधिकरण दोनों "राज्य द्वारा गठित किए जाते हैं और विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी कार्यों से अलग न्यायिक के साथ निवेश किए जाते हैं", (दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह, 1955 1 एस. सी. आर. 267 पी.272:(ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 520 पृष्ठ 522 पर)।वे दोनों न्यायनिर्णायक निकाय हैं और वे उन पक्षों के बीच विवादों से निपटते हैं और अंत में उनका निर्धारण करते हैं जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में सौंपा गया है।न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमित रूप से निर्धारित की जाती है और अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालयों को उस प्रक्रिया का पालन करना होता है।न्यायाधिकरणों को जिस प्रक्रिया का पालन करना होता है, वह हमेशा इतनी सख्ती से निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन दोनों न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण काफी हद तक समान है, और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है।जैसा कि न्यायालयों के मामले में होता है, इसलिए न्यायाधिकरणों के मामले में, यह राज्य की अंतर्निहित न्यायिक शक्ति है जिसे हस्तांतरित किया गया है और उक्त शक्ति के आधार पर, यह राज्य का अंतर्निहित न्यायिक कार्य है जिसका वे निर्वहन करते हैं।न्यायिक कार्य और न्यायिक शक्तियाँ एक संप्रभु राज्य के आवश्यक गुणों में से एक हैं, और नीति के विचार पर, राज्य अपने न्यायिक कार्यों और शक्तियों को मुख्य रूप से संविधान द्वारा स्थापित न्यायालयों को हस्तांतरित करता है; लेकिन यह उचित उपायों द्वारा, अपनी न्यायिक शक्तियों और कार्यों के एक हिस्से को न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित करने के लिए राज्य की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, उन्हें विशेष मामलों और उनके बीच के विवादों पर निर्णय लेने का कार्य सौंपता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1170 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

पार्टियाँ। न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के लिए सामान्य विशेषताओं और विशिष्ट और अलग विशेषताओं का संपूर्ण वर्णन करने का प्रयास करना वास्तव में संभव या समीचीन भी नहीं है। मूल और मौलिक विशेषता जो न्यायालयों और न्यायाधिकरणों दोनों के लिए समान है, वह यह है कि वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो स्वाभाविक रूप से एक संप्रभु राज्य में निहित होती हैं।

बी.

XXX

XXX

एक्सएक्सएक्स

44. न्यायालय के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण को व्यापक रूप से अलग-अलग परिस्थितियों में न्यायिक शक्ति के साथ कानून द्वारा निहित किया जा सकता है, जिसे पूरी तरह से परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव और वास्तव में अस्वीकार्य होगा। उचित बात यह है कि प्रत्येक मामले की जांच की जाए, और यह पता लगाया जाए कि क्या प्राधिकरण में निहित शक्तियों को वास्तव में न्यायिक कार्यों या राज्य की न्यायिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस मामले के प्रयोजन के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि राज्य द्वारा उनके बीच विवाद में किसी भी मामले के संबंध में दो या दो से अधिक पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करने के लिए सशक्त कोई भी बाहरी प्राधिकरण राज्य की न्यायिक शक्तियों के साथ निहित प्राधिकरण के परीक्षण को संतुष्ट करता है और अनुच्छेद 136 के अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जा सकता है। न्यायनिर्णयन की ऐसी शक्ति का तात्पर्य है कि प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए और उसे अपने समक्ष की सामग्री पर प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाकर और उन तथ्यों पर प्रासंगिक कानून लागू करके विवाद का निर्धारण करना चाहिए। न्यायाधिकरण का यह परीक्षण संपूर्ण होने के लिए नहीं है, और यह हो सकता है कि इस परीक्षण को संतुष्ट नहीं करने वाले अन्य निकाय भी न्यायाधिकरण हों। न्यायाधिकरण बनने के लिए, यह आवश्यक है कि निर्णय लेने की शक्ति किसी कानून या वैधानिक नियम से प्राप्त होनी चाहिए। एक प्राधिकरण या निकाय जो पक्षकारों के समझौते से निर्णय लेने की अपनी शक्ति प्राप्त करता है, जैसे कि एक निजी मध्यस्थ या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 ए के तहत कार्य करने वाला एक न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 136 के भीतर एक न्यायाधिकरण के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा निकाय या प्राधिकरण किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निहित है। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 एक न्यायालय के कुछ जाल के साथ एक मध्यस्थ को निहित करता है,

इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भी अधिनियम की धारा 10 ए के तहत कार्य करने वाले एक प्राधिकरण को ऐसे कई जाल के साथ निहित करता है, और फिर भी, ऐसे निकाय और प्राधिकरण न्यायाधिकरण नहीं हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1171

मेसर्स यूनिवर्सल एस. ओ. एम. ओ. जनरल इंश्योरेंस कं. लि. सुरेश चंद जैन और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

ए.

45. "न्यायाधिकरण" शब्द को संविधान के अनुच्छेद 227 में भी जगह मिलती है, और मुझे लगता है कि वहाँ भी इस शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 136 में है।"

(जोर दिया गया) 36। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने इबरत फैज़ान (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणी की:

बी.

"12. ... इसलिए, राष्ट्रीय आयोग को एक 'न्यायाधिकरण' कहा जा सकता है, जिसे क़ानून द्वारा उनके बीच विवाद में किसी भी मामले के संबंध में दो या दो से अधिक पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करने की शक्तियां निहित हैं। इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में ऊपर देखा गया है, यह राज्य की न्यायिक शक्तियों के साथ निहित प्राधिकरण की कसौटी को संतुष्ट करता है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और/या 136 के अर्थ के भीतर 'न्यायाधिकरण' के रूप में माना जा सकता है।..."

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 37। इस न्यायालय ने इबरत फैज़ान (ऊपर) में उच्च न्यायालय का रुख करने के महत्व को समझाते हुए, विशेष रूप से जब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट

याचिका के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 227 (पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार) के तहत एक याचिका के माध्यम से कोई उपाय उपलब्ध हो, तो निम्नानुसार देखा गया:

ई.

“12. इसके अलावा, किसी दिए गए मामले में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, उस उपाय को देखते हुए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष पीड़ित पक्ष को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि यह उचित है कि पीड़ित पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका के माध्यम से संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।

एफ.

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

13. अब जहाँ तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उपलब्ध उपचार का संबंध है, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के माध्यम से उपचार बहुत महंगा हो सकता है और जैसा कि इस न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया है।

जी.

एच.

1172 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

इसे वास्तविक और प्रभावी होने के लिए दुर्गम कहा जा सकता है। इसलिए, जब संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपचार का प्रावधान किया जाता है, तो उस मामले में, यह पीड़ित पक्ष के न्याय तक पहुंच के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए होगा, जो एक शिकायतकर्ता हो सकता है, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति के बजाय कम कीमत पर संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।

बी.

एक्सएक्सएक्स

XXX

14.1. इस न्यायालय द्वारा एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (पी) लिमिटेड, (2001) 8 एस. सी. सी. 97 के मामले में संविधान के अनुच्छेद 227 के दायरे और अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है, जिसका इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है (गारमेट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 29 के मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय देखें)। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मापदंडों के भीतर कार्य करना पड़ता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका में अंतरिम रोक/राहत देने पर विचार करते समय भी उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण के सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका में कोई भी अंतरिम रोक/राहत देते समय, यह हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की कठोरता के अधीन होगा।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 38। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें इस याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं देना चाहिए। हमें याची से पहले संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट आवेदन के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान करके अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए कहना चाहिए। बेशक, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने और अंतिम आदेश पारित करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमति मांगने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करके दोनों पक्षों में से किसी के लिए भी इस न्यायालय के समक्ष आना हमेशा खुला रहता है।

जी.

एच.

ए.

39. हम इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.03.2023 द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेते हैं जो इस प्रकार है:

“2. इस बीच, इस न्यायालय में दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के अधीन, विवादित निर्णय और आदेश पर रोक होगी।”

बी.

40. हालाँकि, उपरोक्त संदर्भ में, हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम दिनांकित 03.07.2023 कार्यालय रिपोर्ट को देखें, जो इस प्रकार है:

“यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ. एस. के. वर्मा, प्रत्यर्थी नं.1 28.06.2023 पर याची द्वारा जमा की गई राशि जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। हालाँकि, यह दोषपूर्ण है क्योंकि मूल संपत्ति के कागजात दाखिल नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाते हैं क्योंकि पट्टे के कागजात में उल्लिखित राशि रु। 6,30,000-। इसलिए, राशि प्रत्यर्थी को वितरित नहीं की गई थी।1.”

सी.

डी.

41. उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता याची द्वारा इसमें जमा की गई पचास प्रतिशत राशि को निकालने की स्थिति में नहीं था। यह आगे प्रतीत होता है कि याची द्वारा इसमें जमा की गई राशि अभी भी इस न्यायालय की रजिस्ट्री के पास है। चूंकि हम गुण-दोष के आधार पर इस याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रजिस्ट्री को उचित और उचित सत्यापन के बाद याची को राशि वापस करने का निर्देश देते हैं।

ई.

42. नतीजतन, इस याचिका का निपटारा याची को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाने और कानून के अनुसार एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

43. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। मामले के गुण-दोषों को क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा।

एफ.

निधि जैन

याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.